

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक प0 9(4) राज/वाद/88 पार्ट

जयपुर, दिनांक: 13.04.19

::आदेश::

सुश्री रूचि कोहली, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली को तत्काल प्रभाव से एतद्वारा कार्यमुक्त किया जाता है।

साथ ही यह भी निर्देशित किया जाता है कि वे अपने समस्त प्रकरण मय सूची अतिरिक्त महाधिवक्ता, श्री मनीष सिंघवी (वरिष्ठ अधिवक्ता) को सुपुर्द करें/संभलवावें।

सुश्री रूचि कोहली, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड से संबंधित समस्त कार्य/पत्रावलियां श्री मिलिंद कुमार, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड को मय सूची सुपुर्द करें/संभलवावें।

उपरोक्तानुसार सुपुर्द किये गये प्रकरणों/पत्रावलियों की सूची इस विभाग को 3 दिवस में आवश्यक रूप से प्रेषित करें।

आज्ञा से

- Sd -

(महावीर प्रसाद शर्मा)

प्रमुख शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:-

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय/माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय विधि मंत्री।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव, विधि/समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव।
4. श्री मनीष सिंघवी, वरिष्ठ अधिवक्ता एवं अतिरिक्त महाधिवक्ता, माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली को प्रेषित कर लेख है कि वे सुश्री रूचि कोहली से समस्त प्रकरण मय सूची प्राप्त करें।
5. श्री मिलिंद कुमार, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली को प्रेषित कर लेख है कि वे सुश्री रूचि कोहली से उनके द्वारा संपादित किये जा रहे एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड से संबंधित समस्त कार्य/पत्रावलियां मय सूची प्राप्त करें।
6. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
7. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
8. सचिव, लोकायुक्त जयपुर।
9. सचिव, भारत सरकार, गृह मंत्रालय/विधि मंत्रालय, नई दिल्ली।
10. निबंधक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
11. महाधिवक्ता, राजस्थान जयपुर।
12. महालेखाकार, राजस्थान जयपुर।

13. समस्त अति० महाधिवक्ता जयपुर/जोधपुर/नई दिल्ली।
14. राजकीय अधिवक्ता, जयपुर/जोधपुर/गवर्नमेंट काउंसिल, जयपुर/जोधपुर।
15. समस्त एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, नई दिल्ली।
16. समस्त जिला कलक्टर/पुलिस अधीक्षक/विभागाध्यक्ष।
17. रजिस्ट्रार जनरल/रजिस्ट्रार, माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली।
18. रजिस्ट्रार जनरल/रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर पीठ।
19. अधीक्षक, केन्द्रीय मुद्रणालय, राज० जयपुर को राजस्थान राज-पत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
20. संबंधित अधिवक्ता।
21. निदेशक, जनसम्पर्क, जयपुर।
22. कोषाधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर।
23. विधि विभाग के समस्त प्रकोष्ठ/लेखा शाखा।
24. रक्षित पत्रावली।

Hr 13/4/19

शासन सचिव, विधि